तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र :– अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमां नम्बर 2022/241 अमराराम बनाम तेजा वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थिति – श्री सुबरात अली अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 29/1/24

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुबरात अली ने इसी अनुवान वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 दिया है। प्रार्थी के अनुसार मौजा बिदियाद के गत खसरा नम्बर 225 व नये खसरा नम्बर 742 रकबा 6.14 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के पिता डूंगाराम पुत्र चिमनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो प्रार्थी के दादा चिमनाराम के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के पिता को प्राप्त हुई थी। प्रार्थी पिता डूंगाराम का स्वग्रवास होने पर पैतृक भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो के नाम सह खातेदारी दर्ज हो गयी। प्रार्थी का एक भाई धन्नाराम नाऔलाद फौत होने से पुराने खसरा नम्बर 225 जमाबन्दी सम्वत 2050–2053 के अनुसार धन्ना पुत्र डूंगा का नाम डिलिट कर गोरधन, अमरा, तेजा व पांचू पि. डूंगा के नाम दर्ज हो गयी। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गयी। उक्त भूमि में से जरिये नामान्तकरण संख्या 1699 दिनांक 07.04.2006 के द्वारा खसरा नम्बर 742 रकबा 0.34 हैक्टयर व खसरा नम्बर 742/3 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि रेलवे लाईन भारत सरकार के नाम दर्ज हो गयी। जिसके बाद खसरा नम्बर 742 की शेष भूमि रकबा 5.56 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी प्रार्थी के भाईयो के नाम बंटवारा करते हुए खातेदारी हुई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 742 रकबा 1.2950 हैक्टयर गोरधनराम के नाम खसरा नम्बर 742/5 रकबा 1.53 हैक्टयर पांचूराम के नाम खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1.5350 हैक्टयर तेमाराम के नाम एवं खसरा नम्बर 742 व 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टयर लिपिकिय भूलवंश एवं सहवन से अमरा पुत्र डूंगा हिस्सा 1/4 , गोरधन पुत्र डूंगा 1/4, तेजा पुत्र डूंगा 1/4, पांचूर पुत्र डूगा 1/4 दर्ज हो गया जबकि उक्त खसरा केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज होना था जिसमें गलती से प्रार्थी के भाईयों का शामिल कर दिया। बंटवारे बाद प्रार्थी का स्वतंत्र हिस्सा दिया जाना था लेकिन सहवन से संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। सम्वत 2065 की जमाबन्दी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो का हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी

इन्द्राज सही है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 742 के बंटवारा होने बाद भी प्रार्थी के साथ उसके भाईयों का नाम अंकित कर दिया गया। जिससे खातेदारी घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश कर रखा है जिसके निर्णय तक प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि क सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2030–37 के अनुसार ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 225 रकबा 37–19 बीघा भूमि डूगांराम पुत्र चिमानाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, तथा डूंगाराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि की खातेदारी गोरधन, अमरा, धना, पांचू, तेजा पि. डूंगाराम के नाम दर्ज रिकार्ड की गई है, जो सम्वत 2037–2040 तक इसी अनुसार दर्ज है। सम्वत 2054–2057 में खातेदारी गोरधन, अमरा, तेजा, पांचू पि. डूंगा के नाम दर्ज रिकार्ड है। सम्वत 2058–2061 में भूमि अवाप्त होने पर इस भूमि में से कुछ भूमि रेलवे विभाग के नाम दर्ज की गई है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 225 रकबा 6.14 हैक्टयर के नवीन खसरा नम्बर 742 कायम हुऐ है। सम्वत 2065 की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 742 की खातेदारी गोरधन, अमरा, तेजा, पांचू पि. डूंगा के नाम दर्ज है नामान्तकरण 1699 के जरिये खसरा नम्बर 742 में से 742/1 रकबा 0.34 हैक्टयर व खसरा नम्बर 742 रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि रेलवे लाईन भारत सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड की गई शेष खसरा नम्बर 742 रकबा 5.50 हैक्टयर व खसरा नम्बर 742/2 रकबा 0.6 हैक्टयर खातेदारो की खातेदारी में यथावत रहा है। सम्वत 2071–74 के अनुसार भी खसरा नम्बर 742, 742/2 कुल रकबा 5.56 हैक्टयर भूमि खातेदारो की खातेदारी में यथावत है। जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर 742, 742/2 कुल रकबा 1.1950 हैक्टयर भूमि अमरा 1/4, गोरधन 1/4, तेजा 1/4, पांचू 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 742/4 में गोरधनराम के वारिसान प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 742/5 रकबा 1.5350 हैक्टयर पांचुराम की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 742/6 रकबा 1.53 हैक्टयर भूमि तेजाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, उक्त

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

जमाबन्दीयों के अवलोकन से यह तो स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा होकर खातेदारी अलग अलग दर्ज हो गई थी लेकिन खसरा नम्बर 742, 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टयर भूमि में संयुक्त रूप से चारो भाईयों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी का उनके भाईयों के अनुपात में खातेदारी दर्ज नहीं हुई है, जो रिकार्ड से साबित होता है, ऐसी स्थति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बैचान रहन या दान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णियक्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 से 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बिदियाद के खसरा नम्बर 742, 742/2 रकबा 1.1950 हैक्टयर भूमि का बैचान, हस्तान्तर नहीं करे एवं रहन आदि नहीं रखे।

यह आदेश आज दिनांक 29/1/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)